न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चन्दगी राम झाझरिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 159/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामसुख पुत्र सीताराम जाति दर्जी निवासी दुगस्ताऊ तहसील जायल		नायब तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 26.05.17

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 2/16 (390/2016) सरकार बनाम रामसुख में निर्णय दिनांक 28.11.2016 के तहत मौजा दुगस्ताऊ के खसरा नं. 1286 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.12.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 20.12.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–आदेश जैर अपील विरूद्व कानून व हालात मामला के है जो निरस्तनीय है।

2}(II)–नाप रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से पटवारी व उक्त भू राजस्व निरीक्षक व पटवारियों की टीम ने की है। उसमें अपीलांट के खेत (बाडा) की उंत्तरी सीमा को सही जगह पाया है व यह भी कि चारों तरफ दीवारे बाडों की पक्की है व बाडे का रकबा 1.06 बीघा है। इस पर कोई गौर अधीनस्थ न्यायालय ने नही किया। बाडा का रकबा 1.10 बीघा की जगह 1.06 बीघा है व उसकी उत्तरी भुजा सही जगह है। फिर अतिक्रमण किस आधार पर है। इसलिये आदेश रेकर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है।

{2}(III)–इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर जांच ही नही की है। न मौका मुआयना किया न सरकार की तरफ से साक्ष्य ली न अन्य साक्ष्य ली। जब नाप से अपीलांट का अतिक्रमण नही आया तो पटवारी हल्का के बयान लेते। यह भी जांच करते कि रास्ता के उत्तरी तरफ स्थित भूमि के खातेदार किसनाराम के अतिक्रमण के कारण रास्ता अवरूद्व हुआ है या नही, अपीलांट के जवाब के बाद देखना आवश्यक था तथा अपीलांट के बाडा का रकबा कम होते हुए भी रास्ता पर अतिक्रमण किस आधार पर है। यह सब अधीनस्थ न्यायालय को अपने स्तर पर जांच करके नतीजा देना चाहिये था।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय का कहना है कि अपीलांट ने साक्ष्य सबूत पेश नही किया, बेमाने है। नाप करने के बाद वही सबूत काफी था। अन्य सबूत की आवश्यकता ही नही थी।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा दुगस्ताऊ में स्थित राजकीय रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दुगस्ताऊ के खसरा नंबर 1286 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। प्रकरण में अपीलांट के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.16 को मौका पर सीमांकन को लेकर एक टीम गठित की

अपर कलक्टर, नागौर

गई। जिसके द्वारा दिनांक 19.11.16 को मौके पर अपीलांट की उपस्थिति में पैमाईश की गई है। जिसमे आराजी दो बिस्वा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होना पाया गया है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.11.16 में उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1273 का रिकार्ड में रकबा 1.10 बीघा के स्थान पर 1.06 बीघा ही पाया गया है, के संबंध में उसकी भूमि किस व्यक्ति द्वारा कब्जे की गई है, के संबंध में अपीलांट को सुसंगत नियमों में विधिक कार्यवाही करनी चाहिये। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्दगी राम झाझरिया)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर